

संसदीय समाचार

भाग - 2

सं.61157-61158]

सोमवार, 4 अक्टूबर, 2021

सं.61157

समिति समन्वय अनुभाग

विभाग-संबंधित विदेश मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति के दसवें और ग्यारहवें प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि श्री पी. पी. चौधरी, अध्यक्ष, विदेश मामलों संबंधी समिति ने 10 सितंबर, 2021 को अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 71 ए के तहत माननीय अध्यक्ष को निम्नलिखित दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:-

- (i) 'भारत और द्विपक्षीय निवेश संधियां' विषय संबंधी दसवां प्रतिवेदन।
 - (ii) वर्ष 2021-22 के लिए विदेश मंत्रालय की 'अनुदान मांगों' के संबंध में आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समुक्तियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।
2. राज्य सभा के माननीय सभापति ने भी उक्त प्रतिवेदनों को 18.09.2021 को देख लिया था।
3. माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 280 के तहत उपर्युक्त प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति दी है।

सं.61158

समिति अनुभाग (अधीनस्थ विधान)

**9-11 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान
राज्य सभा के पटल पर रखे गए सांविधिक आदेश
(254वां सत्र)**

विधान की प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित किए गए निम्नलिखित सांविधिक नियम तथा आदेश 9-11 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान राज्य सभा के पटल पर रखे गए। ये आदेश सभा पटल पर एक या दो या उससे अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में पूरी होने वाली 30 दिनों की अवधि के लिए रखे जाएंगे। सदस्य उस सत्र, जिसमें सभा पटल पर रखने की 30 दिन की अवधि पूरी हो गई हो, के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पूर्व संशोधन/निरसन हेतु प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं।

क्र.सं.	नियम/आदेश की संख्या तथा तारीख	संक्षिप्त विषय	सभा पटल पर रखे जाने की तारीख	सांविधिक उपबंध, जिसके अधीन सभा पटल पर रखा गया
1	2	3	4	5

**आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा,
यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)**

- | | | | | |
|----|---|--|------------|--|
| 1. | सा.का.नि. 202
(अ) दिनांक
23 मार्च, 2021 | औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2021 तथा विलंब संबंधी विवरण | 10.08.2021 | औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 |
|----|---|--|------------|--|

- | | | | | |
|----|---|---|------------|---|
| 2. | सा.का.नि. 358
(अ), दिनांक
1 जून, 2021 | राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अधीन राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी व्यवसायियों की सूची की प्रस्तुति) नियम, 2021 | 10.08.2021 | राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 |
| 3. | सं. 12-15/2012
के.हो.प. (पार्ट.1),
दिनांक 14 जून,
2021 | होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) संशोधन विनियमावली, 2021 | 10.08.2021 | होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 33 (2) |

नागर विमानन मंत्रालय

- | | | | | |
|----|--|---|------------|-----------------------------------|
| 4. | सा.का.नि.
192(अ), दिनांक
16 मार्च, 2021. | वायुयान (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 तथा व्याख्यात्मक टिप्पण | 11.08.2021 | वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क |
|----|--|---|------------|-----------------------------------|

5.	सा.का.नि. 222(अ), दिनांक 30 मार्च, 2021.	वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) संशोधन नियम, 2021 तथा व्याख्यात्मक टिप्पण	11.08.2021	वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क
6.	सा.का.नि. 327(अ), दिनांक 13 मई, 2021.	वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 तथा व्याख्यात्मक टिप्पण	-तदेव-	-तदेव-

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

7.	सा.का.नि. 692 (अ) दिनांक 10 सितम्बर, 2015	कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारोबार रिपोर्ट की भाषा में भरा जाना) नियम, 2015 तथा विलंब संबंधी विवरण	10.08.2021	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 (4)
8.	सा.का.नि. 158 (अ), दिनांक 8 मार्च, 2021	कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम 2021 तथा विलंब संबंधी विवरण	10.08.2021	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 (4)

9.	सा.का.नि. 159 (अ), दिनांक 8 मार्च, 2021	कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2021 तथा विलंब संबंधी विवरण	10.08.2021	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 (4)
10.	सा.का.नि. 205 (अ), दिनांक 24 मार्च, 2021	कंपनी (लेखा) पाँचवाँ संशोधन नियम, 2021 तथा विलंब संबंधी विवरण	-तदेव-	-तदेव-
11.	सा.का.नि. 206 (अ), दिनांक 24 मार्च, 2021	कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) संशोधन नियम, 2021 तथा विलंब संबंधी विवरण	-तदेव-	-तदेव-
12.	सा.का.नि. 247 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2021	कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2021 तथा विलंब संबंधी विवरण	-तदेव-	-तदेव-

13.	सा.का.नि. 248 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2021	कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) द्वितीय संशोधन नियम, 2021 तथा विलंब संबंधी विवरण	10.08.2021	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 (4)
14.	सा.का.नि. 392(अ), दिनांक 7 जून, 2021.	कंपनी (निगमन) चतुर्थ संशोधन नियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-
15.	सा.का.नि. 409(अ), दिनांक 15 जून, 2021.	कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-
16.	सा.का.नि. 418(अ), दिनांक 18 जून, 2021.	कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डाटाबैंक का सृजन और रखरखाव) संशोधन नियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-

17.	सा.का.नि. 419(अ), दिनांक 18 जून, 2021.	कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2021	10.08.2021	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 (4)
18.	सा.का.नि. 432(अ), दिनांक 23 जून, 2021.	कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-
19.	सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 22 जुलाई, 2021.	कंपनी (निगमन) पाँचवां संशोधन नियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-
20.	सं. आईबीबीआई/ 2021-22/ जीएन/ आरईजी075 दिनांक 14 जुलाई, 2021.	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021	10.08.2021	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241

21.	सं. आईबीबीआई/ 2021-22/ जीएन/ आरईजी076 दिनांक 22 जुलाई, 2021.	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021	10.08.2021	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241
22.	सं. आईबीबीआई/ 2021-22/ जीएन/ आरईजी077 दिनांक 22 जुलाई, 2021.	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-
23.	सा.का.नि. 1256 (अ), दिनांक 18 मार्च, 2021.	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V में भाग II का संशोधन करते हुए उसमें यथाउल्लिखित कतिपय प्रविष्टियों का अंतःस्थापन/प्रतिस्थापन	10.08.2021	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 (3)

24.	सा.का.नि. 207 (अ), दिनांक 24 मार्च, 2021.	उक्त अधिनियम की अनुसूची III का 1 अप्रैल, 2021 से लागू संशोधन करते हुए उसमें यथाउल्लिखित कतिपय प्रविष्टियों का अंतःस्थापन/ प्रतिस्थापन/ विलोपन	10.08.2021	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 (3)
-----	---	---	------------	---

रक्षा मंत्रालय

25.	का.नि.आ. 26, दिनांक 18 जुलाई - 24 जुलाई, 2021 (साप्ताहिक राजपत्र)	नौसेना आनुष्ठानिक, सेवा-शर्ते और प्रकीर्ण(संशोधन) विनियम, 2021	10.08.2021	नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185
-----	---	--	------------	--

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

26.	सा.का.नि. 1362 (अ.) दिनांक 2 नवम्बर, 2017	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2017 तथा विलंब संबंधी विवरण	09.08.2021	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 35 (3)
27.	सा.का.नि. 1473 (अ.) दिनांक 1 दिसम्बर, 2017.	हरित अधिकरण (व्यवहार और प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2017 तथा विलंब संबंधी विवरण	-तदेव-	-तदेव-
28.	सा.का.नि. 589 (अ.) दिनांक 27 जून, 2018.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (वरिष्ठ लेखाकार भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2018 तथा विलंब संबंधी विवरण	-तदेव-	-तदेव-

29.	का.आ. 1027 (अ.) दिनांक 26 फरवरी, 2019.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन शर्तें) संशोधन नियम, 2019 तथा विलंब संबंधी विवरण	09.08.2021	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 35 (3)
30.	का.आ. 2339 (अ.) दिनांक 16 जून, 2021.	मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों का अंतस्थापन/प्रतिस्थापन करने के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2006	09.08.2021	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) और (2) (v) के अंतर्गत जारी
31.	का.आ. 2817 (अ.) दिनांक 13 जुलाई, 2021.	मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों का प्रतिस्थापन करने के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2006 का संशोधन करना।	-तदेव-	-तदेव-

32.	का.आ. 2859 (अ.) दिनांक 16 जुलाई, 2021.	मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों का प्रतिस्थापन करने के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2006 का संशोधन करना।	09.08.2021	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) (2) (v) के अंतर्गत जारी
-----	--	---	------------	--

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

33.	सं. सेबी/ एलएडी- एनआरओ/ जीएन/ 2021/ 13, दिनांक 30 मार्च, 2021.	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2021	10.08.2021	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31
34.	सं. सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/ 2021/15, दिनांक 30 मार्च, 2021.	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) (निरसन) विनियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-

35.	सं. सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/ 2021/18, दिनांक 5 मई, 2021.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021	10.08.2021	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31
36.	सं. सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/ 2021/19, दिनांक 5 मई, 2021.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-
37.	सं. सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/ 2021/21, दिनांक 5 मई, 2021.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आनुकल्पिक निवेश निधियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-

- | | | | | |
|-----|---|---|------------|--|
| 38. | सं. सेबी/एलएडी-
एनआरओ/जीएन/
2021/22, दिनांक
5 मई, 2021. | भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता
(लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ)
(दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 | 10.08.2021 | भारतीय प्रतिभूति
और विनियम बोर्ड
अधिनियम, 1992
की धारा 31 |
| 39. | सं. सेबी/एलएडी-
एनआरओ/जीएन/
2021/24 , दिनांक
12 मई, 2021 | उसमें उल्लिखित कतिपय एंटिटियों को अर्हित
वित्तीय बाजार सहभागियों के रूप में विनिर्दिष्ट
करना, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा
निर्धारित किए जाने वाले प्रावधानों के अध्यक्षीन,
पहली अनुसूची में यथा उल्लिखित किसी विनियामक
प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अर्हित वित्तीय संविदाएं
कर सकेंगी | 10.08.2021 | अर्हित वित्तीय
संविदा द्विपक्षीय
नेटिंग
अधिनियम,2020
की धारा 2 (1)
(ण) (vi) के साथ
पठित धारा 4
(ख) के अंतर्गत
जारी |

40.	सा.का.नि. 423 (अ), दिनांक 19 जून, 2021	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2021	10.08.2021	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 (3)
-----	--	---	------------	--

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

41.	सं. पी.एफ.आर.डी.ए. /12/आर.जी.एल. /139/ 11, दिनांक 24 मार्च, 2021.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2021	10.08.2021	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53
42.	सं. पी.एफ.आर.डी.ए. /12/आर.जी.एल. /139/9, दिनांक 1 अप्रैल, 2021.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-

43.	सं. पी.एफ.आर.डी.ए. /12/आर.जी.एल. /139/9, दिनांक 25 मई, 2021.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (पाँचवां संशोधन) विनियम, 2021	10.08.2021	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53
44.	सं. पी.एफ.आर.डी.ए. /12/आर.जी.एल. /139/3, दिनांक 14 जून, 2021.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (संशोधन) विनियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-
45.	सं. पी.एफ.आर.डी.ए. /12/आर.जी.एल. /139/5, दिनांक 14 जून, 2021.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-

46.	सं. पी.एफ.आर.डी.ए. /12/आर.जी.एल. /139/7, दिनांक 14 जून, 2021.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) (संशोधन) विनियम, 2021	10.08.2021	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53
47.	सं. पी.एफ.आर.डी.ए. /12/आर.जी.एल. /139/8, दिनांक 14 जून, 2021	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-
48.	सं. पी.एफ.आर.डी.ए. /12/आर.जी.एल. /139/11, दिनांक 2 जुलाई, 2021.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-

49.	सं. पी.एफ.आर.डी.ए. /12/आर.जी.एल. /139/9, दिनांक 15 जुलाई, 2021.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (छटा संशोधन) विनियम, 2021	10.08.2021	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53
50.	सा.का.नि. 501(अ) दिनांक 22 जुलाई, 2021.	ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग (संशोधन) नियम, 2021	10.08.2021	ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 की धारा 36 (3)
51.	सा.का.नि. 537(अ), दिनांक 27 अगस्त, 2020.	ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2020	-तदेव-	-तदेव-

52.	सा.का.नि. 460(अ), दिनांक 30 जून, 2021.	जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, 2021	10.08.2021	जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 (3)
53.	सा.का.नि. 497(अ), दिनांक 19 जुलाई, 2021.	भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-
54.	सं. 1- 13011/03/2021 बीमा-1, दिनांक 22 जुलाई, 2021.	जीवन बीमा निगम (सामान्य) विनियम, 2021	10.08.2021	जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 (3)
55.	सं. 1-13011/ 03/ 2021 बीमा-1, दिनांक 22 जुलाई, 2021.	भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रशिक्षु विकास अधिकारियों की भर्ती) (संशोधन) विनियम , 2021	-तदेव-	-तदेव-

56.	सं. I-13011/ 03/ 2021 बीमा-1, दिनांक 22 जुलाई, 2021.	भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2021	10.08.2021	जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 (3)
57.	सा.का.नि. 384 (अ), दिनांक 3 जून, 2021	बीमांकक (परिषद् में निर्वाचन) नियम, 2021	10.08.2021	बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 58

(राजस्व विभाग)

58.	सा.का.नि. 246(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2021.	आयकर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2021 तथा व्याख्यात्मक टिप्पण	10.08.2021	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296
59.	सा.का.नि. 514(अ), दिनांक 29 जुलाई, 2021.	आयकर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2021 तथा व्याख्यात्मक टिप्पण	-तदेव-	-तदेव-

60.	सा.का.नि. 499 (अ), दिनांक 20 जुलाई, 2021	बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 69 के अधीन तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976, की धारा 5 की उप धारा (1) के अधीन प्राधिकृत किए गए सक्षम प्राधिकारी में से क्षेत्राधिकार के कतिपय क्षेत्रों का आवंटन करना तथा व्याख्यात्मक टिप्पण	10.08.2021	बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 69
61.	सा.का.नि. 517(अ), दिनांक 30 जुलाई, 2021.	केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (छटां संशोधन) नियम, 2021 तथा व्याख्यात्मक टिप्पण	10.08.2021	केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166
62.	सा.का.नि. 518 (अ), दिनांक 30 जुलाई, 2021	जिन पंजीकृत व्यक्तियों का सकल कारोबार वित्तीय वर्ष 2020-21 में दो करोड़ रुपये तक था, उन्हें उक्त वित्तीय के वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करना तथा व्याख्यात्मक टिप्पण	-तदेव-	-तदेव-

63.	का.आ. 3065(अ), दिनांक 30 जुलाई, 2021	1 अगस्त, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करना जब वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 110 और 111 के उपबंध लागू होंगे तथा व्याख्यात्मक टिप्पण	10.08.2021	केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166
64.	सा.का.नि. 808 (अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2020	कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन और प्रोसेसिंग) संशोधन विनियम, 2020 तथा व्याख्यात्मक टिप्पण एवं विलंब संबंधी विवरण एवं टिप्पण	10.08.2021	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

65.	सं. 11-1/2019 आई.एन.सी., दिनांक 5 मार्च, 2020	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन हेमेटोलॉजी नर्सिंग (इनक्लूडिंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट)- रेजिडेंसी प्रोग्राम, 2019 तथा विलंब संबंधी विवरण।	10.08.2021	भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 16 (3)
-----	--	---	------------	--

66.	सं. 11-1/2019 आई.एन.सी., दिनांक 25 सितम्बर, 2020.	बर्न्स एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी स्पेशियलिटी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा-आवासीय कार्यक्रम, 2019 तथा विलंब संबंधी विवरण	10.08.2021	भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 16 (3)
67.	सं. 11- 1/2019 आई.एन.सी., दिनांक 6 नवम्बर, 2020.	भारतीय उपचर्या परिषद् (परिषद् द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालयों में उपचर्या कार्यक्रम में पीएच डी. प्रारंभ करने के लिए दिशानिर्देश), विनियम, 2020 तथा विलंब संबंधी विवरण	-तदेव-	-तदेव-
68.	सं. 11- 1/2019 आई.एन.सी., दिनांक 6 जनवरी, 2021.	भारतीय उपचर्या परिषद् {नर्स प्रेक्टिशनर इन मिडवाइफरी(एनपीएम) कार्यक्रम} विनियम, 2020 तथा विलंब संबंधी विवरण	-तदेव-	-तदेव-

69.	सं. 11-1/2019- आई.एन.सी., दिनांक 22 फरवरी, 2021.	भारतीय उपचर्या परिषद् (पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नियोनेटल स्पेशियलिटी नर्सिंग- आवासीय कार्यक्रम), विनियम, 2020 तथा विलंब संबंधी विवरण	10.08.2021	भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 16 (3)
70.	सं. 11-1/2019 आई.एन.सी., दिनांक 12 मार्च, 2021.	भारतीय उपचर्या परिषद् (नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए उपयुक्तता प्रदान करने हेतु न्यूनतम आवश्यक शर्त) विनियम, 2020 तथा विलंब संबंधी विवरण	-तदेव-	-तदेव-
71.	सं.एमएंडएमपी/वि विध मानक/अधिसूचना (03)/एफ.एस..ए स.ए.आई.-2018 दिनांक 29 नवम्बर, 2019	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) पांचवां संशोधन विनियम, 2019 को अधिसूचित करना तथा विलंब संबंधी विवरण	10.08.2021	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

- | | | | | |
|-----|--|--|------------|--|
| 72. | सं. 11-1/2019 -
आई.एन.सी दिनांक
22 फरवरी, 2021 | भारतीय उपचर्या परिषद् [नर्स प्रेक्टिशनर इन
मिडवाइफरी (एनपीएम) कार्यक्रम, शुद्धिपत्र] विनियम,
2020 तथा विलंब संबंधी विवरण | 10.08.2021 | भारतीय नर्स परिषद्
अधिनियम, 1947
की धारा 16 (3) |
| 73. | सा. का. नि. 258
(अ), दिनांक 12
अप्रैल, 2021 | औषधि (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 | 10.08.2021 | औषधि और प्रसाधन
सामग्री अधिनियम,
1940 की धारा 38 |

गृह मंत्रालय

- | | | | | |
|-----|--|---|------------|--|
| 74. | का.आ. 927 (अ),
दिनांक 2 मार्च,
2020. | त्रिपुराराज्य के पश्चिम त्रिपुरा जिले में स्थित अगरतला भू
जांच चौकी को सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा
दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/ निकास के लिए
प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकी के रूप में नामोद्दिष्ट
करना तथा विलंब संबंधी विवरण | 10.08.2021 | पासपोर्ट (भारत में
प्रवेश) नियम, 1950
कानियम 3 (ख) |
|-----|--|---|------------|--|

75.	का.आ. 929 (अ), दिनांक 2 मार्च, 2020.	पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर 24 परगना जिला स्थित घोजाडांगा भू जांच चौकी को सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/ निकास के लिए प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकी के रूप में नामोद्दिष्ट करना तथा विलंब संबंधी विवरण	11.08.2021	पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 का नियम 3 (ख)
76.	का.आ. 928 (अ), दिनांक 2 मार्च, 2020.	वरिष्ठ आप्रवासन अधिकारी (आप्रवासन ब्यूरो), को त्रिपुरा राज्य के पश्चिम त्रिपुरा जिले में स्थित अगरतला भू आप्रवासन जांच चौकी के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ दिनांक 02-03-2020 से 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्त करना तथा विलंब संबंधी विवरण	11.08.2021	विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3क (2)
77.	का.आ. 930 (अ), दिनांक 2 मार्च, 2020.	वरिष्ठ आप्रवासन अधिकारी (आप्रवासन ब्यूरो) को पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर 24 परगना जिला स्थित घोजाडांगा भू आप्रवासन जांच चौकी के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ दिनांक 02-03-2020 से 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्त करना तथा विलंब संबंधी विवरण	-तदेव-	-तदेव-

- | | | | | |
|-----|--|---|------------|--|
| 78. | सा.का.नि. 68
दिनांक 4 जुलाई -
10 जुलाई, 2021
(साप्ताहिक
राजपत्र) | केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (योधक समूह "ग"
अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2021 | 11.08.2021 | केंद्रीय रिजर्व
पुलिस बल
अधिनियम, 1949
की धारा 18 (3) |
| 79. | सा.का.नि. 69,
दिनांक 11 जुलाई -
17 जुलाई, 2021
(साप्ताहिक
राजपत्र) | नागरिक सुरक्षा (संशोधन) विनियम, 2021 | 11.08.2021 | नागरिक सुरक्षा
अधिनियम, 1968
की धारा 20 |

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

80.	सा.का.नि. 575 (अ), दिनांक 22 सितम्बर, 2020	तेल उद्योग (विकास) संशोधन नियम, 2020 तथा विलंब संबंधी विवरण	11.08.2021	तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 (3)
-----	--	--	------------	--

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

81.	सं. आईएमयू/एच क्यू/एडीएम/अधि सूचना/2019/02 दिनांक 18 नवम्बर, 2019	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 2019 के अध्यादेश 07, 2019 के अध्यादेश 08 और 2018 के अध्यादेश 30 तथा विलंब संबंधी विवरण	09.08.2021	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 (2)
-----	---	--	------------	--

82.	सं. आईएमयू/ मुख्यालय/ एडीएम/ अधिसूचना/ 2021/01 दिनांक 21 जून, 2021	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के 2017 के अध्यादेश 06, 2020 के अध्यादेश 01, 2020 के अध्यादेश 02, 2020 के अध्यादेश 03, 2020 के अध्यादेश 04, 2020 के अध्यादेश 05, 2020 के अध्यादेश 06 और 2020 के अध्यादेश 07	09.08.2021	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 (2)
83.	सा.का.नि. 359 (अ.) दिनांक 1 जून, 2021	दीनदयाल पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2021	09.08.2021	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 (4)

विद्युत मंत्रालय

84.	सं. एल- 1/236/2018/केवि विआ., दिनांक 26 नवम्बर, 2019.	भारत के राजपत्र सं. 144 के भाग III- धारा 4 में 3 मई, 2019 को प्रकाशित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2019 के लिए शुद्धि पत्र	10.08.2021	शुद्धि पत्र
-----	--	--	------------	-------------

85.	सं. एल- 1/18/2010- केविआ., दिनांक 28 फरवरी, 2020.	भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III- धारा 4 में क्रम संख्या 162 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 में प्रकाशित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की अधिसूचना के लिए शुद्धि पत्र	10.08.2021	शुद्धि पत्र
86.	सं. एल- 1/13/2010/ केविआ., दिनांक 1 जुलाई, 2020	यह अधिसूचित करना कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर बाजार) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 दिनांक 1 जून, 2020 से अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित की जाने वाली किसी अन्य तारीख से लागू होंगे।	-तदेव-	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179
87.	सं. एल- 1/18/2010- केविआ., दिनांक 1 जुलाई, 2020	यह अधिसूचित करना कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 दिनांक 1 जून, 2020 से अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित की जाने वाली किसी अन्य तारीख से लागू होंगे।	-तदेव-	-तदेव-

88.	सं. एल-7/105 (121)/ 2007- केविआ., दिनांक 1 जुलाई, 2020	यह अधिसूचित करना कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर राज्जिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 दिनांक 1 जून, 2020 से अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित की जाने वाली किसी अन्य तारीख से लागू होंगे।	10.08.2021	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179
89.	सं. एल- 1/246/2019/केवि आ., दिनांक 1 जुलाई, 2020.	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2020	-तदेव-	-तदेव-
90.	सं. एल- 1/250/ 2019- केविआ., दिनांक 31 अगस्त, 2020	यह अधिसूचित करना कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्जिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 दिनांक 1 नवंबर, 2020 से लागू होंगे।	-तदेव-	-तदेव-

91.	सं. एल- 1/250/2019/केवि विआ., दिनांक 1 जुलाई, 2020.	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020	10.08.2021	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179
92.	सं. एल- 1/160/2020- के.वि.वि.आ., दिनांक 2 नवम्बर, 2020.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2020	-तदेव-	-तदेव-
93.	सा.का.नि. 817(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2020.	विद्युत (संशोधन) नियम, 2020	-तदेव-	-तदेव-

94.	सा.का.नि. 818(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2020.	विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020	10.08.2021	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179
95.	सं. एल- 1/236/2018- के.वि.वि.आ., दिनांक 3 फरवरी, 2021.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020	-तदेव-	-तदेव-
96.	सा.का.नि. 128(अ), दिनांक 22 फरवरी, 2021.	विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार) नियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-

97.	सं. एल- 1/42/2010- के.वि.वि.आ., दिनांक 12 अप्रैल, 2021.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति का विनियम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021	10.08.2021	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179
98.	सं. 2/2 (2) / 2011 - स्थापना./ के.वि.वि.आ., दिनांक 23 मार्च, 2021.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तें) (पाँचवां संशोधन) विनियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-
99.	सं. एल- 1/257/2020- के.वि.वि.आ., दिनांक 16 जून, 2021.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-

100.	सा. का. नि. 448(अ), दिनांक 29 जून, 2021.	विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2021	10.08.2021	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179
101.	सा. का. नि. 488(अ), दिनांक 15 जुलाई, 2021.	दिल्ली को छोड़कर संघ राज्यक्षेत्रों के लिए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2021	-तदेव-	-तदेव-

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

102.	सं. पी. एंड ए।/ रेग्यु./ एएमडीटी/ एससीटीआईएमए सटी /2017, दिनांक 23 जून, 2020	श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विनियम, 2019 तथा विलंब संबंधी विवरण	10.08.2021	श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम, अधिनियम, 1980 की धारा 33
------	---	---	------------	--

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग)

- | | | | | |
|------|---|--|------------|--|
| 103. | फा. सं. एनएसयू/
रेगूलेशन/2020,
दिनांक 24 मार्च,
2021 | राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के विभिन्न विनियमों को
अधिसूचित करना। | 09.08.2021 | राष्ट्रीय खेल
विश्वविद्यालय
अधिनियम 2018
की धारा 42 (2) |
| 104. | फा.सं. एनएसयू/
ऑर्डिनेंस-2021
दिनांक 24 मार्च,
2021 | राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्यादेशों
को अधिसूचित करना। | -तदेव- | -तदेव- |

पी. पी. के. रामाचार्युलु,
महासचिव